

सहायक कलक्टर (SDO)

दालत

मुकाम

विरसात

बनाम

यूनाराम बगैरा

किस्म मुकदमा



राज डोकेडन

नं

05/2020

सन

2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/01/2020	<p>प्राथी/वादी/अपीलांत के वकील भी <u>रिवाझराम मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 R.P.A Act</u></p> <p>राजस्थान क्राइमकारि/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तत्पश्चात होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12/02/2020</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <u>11/2020</u>                      सहायक कलक्टर (SDO)                      बायत                 </p>	
12/02/2020	<p>प्राथी वकील उपस्थित। विप्राथी/गणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाये गये जिनको 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। जिनकी कोर्ट से कोई अधिवक्ता या वे स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ। नगमालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्राथी/गण स्वयं या उनकी कोर्ट से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। लिटिगेशन इनके विरुद्ध एडवोकेट द्वारा जारी प्रमल में लाई जाती है। प्राथी के अधिवक्ता की एडवोकेट वकालत सुनी गई प्राथी के अधिवक्ता द्वारा वकालत की प्राथी व विप्राथी/गणों के प्यार-पारी खेल सेठ सेठ आये हुए है। प्राथी व विप्राथी/गणों के खेलों के विय जो पुरानी आठ व ठगे आये हुए थे जो वर्तमान में आधियों के कंड से विचार गये है पकल होने पर विप्राथी/गण प्राथी</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलक्टर (SDO) बायत  <u>12.2.2020</u> </p>	



के सेबों को तोड़कर उनमें शक्कर भर लेते हैं। जिस प्रकार  
प्राची व विप्राची गणों के समय खेत के सेबों को तोड़कर  
हमेशा लनाजा बना रहता है। इसलिए प्राची को अपने  
घातेदारी खेतों की पक्की नैयमवन्ती डरवाना कायप्रभु है।  
कल: प्राची अखिरकता के मिक्सेन

पर प्राची का नैयमवन्ती कावेदन खेड़ा विना जाडर  
तटसीलकर गिहा को डमिशन व सम्बन्धित भू मंत्रालय  
निरिस्तु को सहायक डमिशन निस्तु विना जाडर मोशु  
दिना जाता है कि काय खप या सहायक डमिशन से  
प्राची के घातेदारी खेतों की पक्की नैयमवन्ती मंडि पर  
बुलड जमाडराडर डरे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर  
शामिल पत्रावली दी। पत्रावली केवल रूपार होडा डर  
नामक से डम ही दाखिल इफल है।

12.2.2020

सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

बाद / 2020 / 29  
प्राथमिक  
विरमाराण पुत्र नानगाराण  
निवासी उदरमाणिणों की  
राजस्थान

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/2020/ 79

दिनांक:- 12/2/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

विरमाराम पुत्र नानगाराम जाति जाट  
निवासी उदरमाणियों की ढाणी

चुनाराम पुत्र धनाराम वगैरा  
निवासी उदरमाणियों की ढाणी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या ...../2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा उदरमाणियों की ढाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 704/319, 707/341 रकबा क्रमशः 22.17, 82.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इम्प्लाई करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।




सहायक कमिश्नर (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 12/2/2020

क्रमांक/वाद/2020/ 80 to 84

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विरमाराम पुत्र नानगाराम
4. विप्रार्थीगण चुनाराम पुत्र धनाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

  
2.2.2020  
सहायक उपखण्ड अधिकारी बायतु  
बायतु